



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष : 0141-2227884 ई-मेल seprd1235@gmail.com &

क्रमांक : एफ 4 (1387) पंरावि/पीसी/अटल ज्ञान केन्द्र/2025/

जयपुर, दिनांक:-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् समस्त

विषय:- विभाग के अनुपयोगी भवनों/परिसरों के उपयोग के संबंध में।

संदर्भ:- विशिष्ट सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय के अशा.टीप क्रमांक मु.मं./निदेशक (सां.)/अनु.भ./2025 दिनांक 09.06.2025 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत बजट घोषणा 2025-26 अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर अटल ज्ञान केन्द्र बनाए जा रहे हैं। दिनांक 17.06.2025 को मैं आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में कुछ जिलों द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त अटल ज्ञान केन्द्रों को बनाये जाने हेतु ग्राम पंचायतों में ऐसे अनुपयोगी भवन उपलब्ध हैं जिनका उपयोग अटल ज्ञान केन्द्रों के लिए किया जा सकता है। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अनुपयोगी भवन यदि सही स्थिति में हैं एवं अटल ज्ञान केन्द्र हेतु अपेक्षित एरिया के अनुरूप हैं तो ऐसे भवनों को अटल ज्ञान केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। इस हेतु यदि कुछ राशि की आवश्यकता है तो अटल ज्ञान केन्द्र के दिशा-निर्देशों में प्रावधित मद से उपयोग लिया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा संदर्भित टीप के द्वारा जिलों से प्राप्त की गई अनुपयोगी भवनों की सूचना मय क्षेत्रफल (भवन व परिसर) तीन प्रारूपों में (उपयोग में लेने योग्य, मरम्मत उपरांत उपयोग में लेने योग्य एवं मरम्मत योग्य नहीं) की सूची भिजवाई गई है। अतः जो भवन/परिसर विभाग द्वारा बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु या अन्य कार्यों में प्रयुक्त किये जा सकते हैं, उनका चिन्हीकरण कर बजट घोषणाओं के अन्तर्गत बनाए जाने वाले भवन निर्माण के लिए उपयोग कर आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे एवं इसकी सूचना विभाग को भी भिजवाने का श्रम करावे।

संलग्न-उपर्युक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ. जोगा राम)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय के अशा.टीप क्रमांक मु.मं./निदेशक (सां.)/अनु.भ./2025 दिनांक 09.06.2025 के क्रम में।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंरावि।
3. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त।
4. योजना प्रभारी, जिला परिषद् समस्त।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।

Signature Not Verified



Digitally signed by Joga Ram
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.24 21:02:06 IST
Reason: Approved



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर, ई-मेल : rajpr.sep@rajasthan.gov.in,

क्रमांक एफ.4(1387)/परावि/पीसी/अटल ज्ञान केन्द्र/2025-58038/पार्ट-2/

जयपुर दिनांक यथाहस्ताक्षर

अटल ज्ञान केन्द्र:- संशोधित दिशा-निर्देश

1. प्रस्तावना

राजस्थान में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल डिवाइड होने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में ज्ञान के संसाधन, प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी और कैरियर मार्गदर्शन जैसी सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं। ग्रामीण युवाओं को आवश्यक संसाधन और मार्गदर्शन नहीं मिल पाते, जिससे वे शहरी युवाओं की तुलना में पिछड़ जाते हैं। इस डिजिटल साक्षरता के अभाव, भौगोलिक दूरी और संसाधनों की कमी को दूर करते हुए राजस्थान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर 25 दिसंबर 2024 को 'सुशासन दिवस' के अवसर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर चरणबद्ध रूप से अटल ज्ञान केन्द्र बनाने की घोषणा की है।

यह केंद्र एक ही स्थान पर ग्रामीण युवाओं को स्व-अध्ययन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण, सरकारी योजनाओं की जानकारी और कैरियर काउंसलिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। अटल ज्ञान केंद्रों में आधुनिक लाइब्रेरी एवं ई-लाइब्रेरी की सुविधा भी विकसित की जाएगी, जो पंचायत मुख्यालयों के भारत निर्माण सेवा केंद्र में संचालित होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना की पहुँच आसान होगी, युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे अंतिम लाभार्थियों तक पहुंचेगा और युवाओं को ज्ञान वृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे।

Signature Not Verified



Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To
Government
Date: 2025.06.10 18:28:36 IST
Reason: Approved

राजस्थान की प्रत्येक ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किये जायेंगे। यह योजना ग्रामीण शिक्षा और डिजिटल सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो युवाओं को उनके सपनों को पूरा करने का अवसर देगी और गांव-गांव में विकास की नई राह खोलेगी।

2. अटल ज्ञान केंद्र योजना का उद्देश्य

- “एक भारत श्रेष्ठ भारत” की भावना को साकार करते हुए राजस्थान को ज्ञान आधारित, अपने अधिकारों की समझ रखने वाले और सहभागी लोकतंत्र की दिशा में अग्रसर बनाना।
- ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और शिक्षा, सूचना एवं ई-सेवाओं जैसे आधार, पेंशन, बैंकिंग, आदि की एक ही स्थान पर सहज उपलब्धता तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी व आवेदन प्रक्रिया की पहुँच अंतिम छोर तक सुनिश्चित करना।
- ग्रामीण युवाओं, छात्रों, महिलाओं और किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ज्ञान, जानकारी और सरकारी सेवाओं तथा योजनाओं तक पहुँच प्रदान कराकर उन्हें सशक्त बनाना।
- नागरिकों को भारतीय संविधान, शांति और अहिंसा के मूल्यों से जोड़कर जागरूक और सक्रिय बनाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर सुधारना और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लाइब्रेरी एवं ई-लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान करना।
- स्थानीय युवाओं को 'अटल प्रेरक' के रूप में नियुक्त कर रोजगार के अवसर प्रदान करना।

3. अटल ज्ञान केंद्र में प्रस्तावित गतिविधियाँ

3.1 अटल पुस्तकालय एवं वाचनालय

- महापुरुषों के दर्शन एवं विचार संबंधी पुस्तकें
- स्वतंत्रता संग्राम एवं स्वतंत्रता सेनानियों के संबंध में साहित्य
- विभिन्न भाषाओं की पत्र-पत्रिकाएं, प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकें एवं पत्रिकाएं
- महत्वपूर्ण एवं तार्किक सोच को बढ़ावा देने वाली पुस्तकें
- सामयिक विषयों संबंधी पत्रिकाएं एवं समाचार पत्र
- ई-लाइब्रेरी की सुविधा

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To
Government
Date: 2025.06.10 18:28:36 IST
Reason: Approved

- पुस्तकालय को एक बहुआयामी गतिविधि केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि युवा एवं आमजन अपनी रुचि अनुसार सीखने और ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रेरित हो सकें।
- एक वर्कशॉप सेंटर के रूप में विकास, जहां विभिन्न प्रशिक्षण की सूचना और कैरियर काउंसलिंग की सुविधाएं भी दी जाएंगी।
- डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और साक्षर राजस्थान की संकल्पनाओं के सामान गतिविधियां।
- पुस्तकालय में रखी जाने वाली पुस्तकों के प्रकाशन एवं भाषा के संबंध में निर्णय संबंधित जिला कलक्टर के स्तर से किया जाएगा।

3.2 संविधान केंद्र

- भारत के संविधान की प्रस्तावना एवं विशेषताएं
- मूल अधिकार एवं कर्तव्यों की जानकारी
- संविधान से संबंधित पुस्तकों का संधारण
- शांति, अहिंसा, संवैधानिक मूल्यों एवं अभिव्यक्ति से संबंधित विषयों का प्रदर्शन

3.3 सूचना सुविधा केंद्र

- राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी
- योजनाओं से संबंधित साहित्य का वितरण
- पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित कराने में सहायता
- सूचना का अधिकार, लोक सेवा गारंटी, स्वास्थ्य का अधिकार, आदि के बारे में जागरूकता
- महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों की जानकारी
- पुस्तकों, चित्रकला, हस्तशिल्प आदि से संबंधित प्रदर्शनियों का आयोजन

3.4 डिजिटल ई-लर्निंग केंद्र

- ई-कॉर्नर के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी एवं आवेदन की सुविधा
- ई-लाइब्रेरी
- ई-मित्र प्लस मशीन की सुविधा
- सरकारी पोर्टल के माध्यम से योजनाओं एवं लाभान्वितों के बारे में जागरूकता

Signature Not Verified
Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To
Government
Date: 2025.06.10 18:28:36 IST
Reason: Approved

3.5 युवा मार्गदर्शन केंद्र

- कैरियर काउंसलिंग
- उच्च शिक्षा ऋण एवं डिग्री, डिप्लोमा प्रदान करने वाली संस्थाओं की जानकारी
- प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में मार्गदर्शन
- रोजगार विज्ञापनों की जानकारी
- ऑनलाइन आवेदन की सुविधा एवं कोचिंग से सम्बंधित अनुप्रति योजना की जानकारी
- विषयवार (शिक्षा, विज्ञान, समाज, कला, आदि) पर विशेषज्ञों द्वारा संवाद एवं व्याख्यान आयोजन
- युवाओं की स्थानीय स्तर के विकास मुद्दों पर समझ विकसित करना ताकि वे स्थानीय विकास में योगदान दे सकें
- विभिन्न विषयों पर युवाओं के मध्य वाद-विवाद गतिविधि को प्रोत्साहित करना
- स्थानीय स्तर पर उपलब्ध गणमान्य व्यक्तियों से संवाद एवं व्याख्यान आयोजन

4. अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना

राज्य सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर चरणबद्ध तरीके से अटल ज्ञान केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके लिए उठाए जाने वाले मुख्य कदम इस प्रकार हैं:

- **ग्राम पंचायतों का चयन:** सटीक और प्रभावी योजना निर्माण के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय को जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, वर्तमान में डिजिटलीकरण की स्थिति और आधारभूत संरचना की उपलब्धता के आधार पर चिन्हित किया जाएगा।
- **केंद्रों की स्थापना:** चयनित पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें लाइब्रेरी, ई-लाइब्रेरी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, रोजगारपरक प्रशिक्षण की सूचना, कैरियर काउंसलिंग और सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To
Government
Date: 2025.06.10 18:28:36 IST
Reason: Approved

- **अटल प्रेरकों की नियुक्ति:** स्थानीय युवाओं को 'अटल प्रेरक' के रूप में आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त किया जाएगा, जो केंद्रों का संचालन करेंगे और ग्रामीण युवाओं को जागरूक कर रोजगार के अवसरों से जोड़ेंगे।
- **डिजिटल और शैक्षिक संसाधन:** केंद्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए ई-लाइब्रेरी और अन्य डिजिटल सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
- **प्रथम चरण का क्रियान्वयन:** विभाग द्वारा प्रथम चरण में राज्य की 3 हजार से अधिक आबादी वाले 2082 ग्राम पंचायत मुख्यालयों का चयन कर अटल ज्ञान केंद्रों का निर्माण किया जाना है।(सूची संलग्न)

5. भवन निर्माण

विकल्प-1

वर्तमान में ग्राम पंचायतों में "भारत निर्माण सेवा केंद्र" के भवन उपलब्ध हैं, जिनके भूतल पर 36' x 20' आकार का हॉल निर्मित है। इस हॉल के ऊपर प्रथम तल पर अटल ज्ञान केंद्र हेतु एक नया हॉल तथा आवश्यकतानुसार सीढ़ियों का निर्माण किया जाएगा।

विकल्प-2

जिन पंचायतों में भारत निर्माण सेवा केंद्र के प्रथम तल पर भवन निर्माण संभव नहीं है, ऐसी पंचायतों में अन्यत्र स्थान पर भूतल पर 30'X20' आकार के हॉल का निर्माण किया जाएगा।

- ई-लाइब्रेरी में कम से कम 4 वर्कस्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए आवश्यक कंप्यूटर एवं फर्नीचर की व्यवस्था की जाएगी।
- न्यूनतम 20 अभ्यर्थियों, आकांक्षियों एवं आमजन के अध्ययन हेतु उपयुक्त सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- प्रशिक्षण व अन्य गतिविधियों के प्रभावी संचालन हेतु इस परिसर को बहुआयामी गतिविधि केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To
Government
Date: 2025.06.10 18:28:36 IST
Reason: Approved

6. प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र

उक्त कार्यों की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में विभाग की शिड्यूल ऑफ पावर्स वर्ष 2014 (समय-समय पर जारी संशोधनों के अनुसार) और ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2010 के अनुसार विभाग के ई-पंचायत पोर्टल के माध्यम से जारी किये जायेंगे। इन कार्यों की क्रियान्विति के दौरान राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 की पालना सुनिश्चित की जाएगी।

7. कार्य निष्पादन

7.1 निर्माण एवं संचालन की समयावधि

अटल ज्ञान केंद्र के निर्माण एवं संचालन का कार्य ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2010 के प्रावधानों के अनुरूप अधिकतम 09 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। समस्त संबंधित विभाग/एजेंसियाँ यह सुनिश्चित करेंगी कि समस्त कार्य निर्धारित समयावधि के भीतर पूर्ण कराए जाएँ।

7.2 भारतीय मानकों व तकनीकी मापदंडों का अनुपालन

भवन निर्माण कार्यों में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित भारतीय मानक (आई.एस. कोड) व तकनीकी मापदंडों एवं विनिर्देशों के सभी प्रावधानों की पूर्णतः अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

किसी भी स्तर पर मानकों की अवहेलना नहीं की जाएगी। गुणवत्ता नियंत्रण हेतु नियमित निरीक्षण एवं परीक्षण किए जाएँगे।

8. अनुमानित लागत विवरण

प्रत्येक अटल ज्ञान केंद्र के निर्माण की अनुमानित लागत निम्नानुसार होगी:-

- प्रथम तल पर 36'X20' हॉल निर्माण एवं सीढ़ियां - राशि रु. 8.00 लाख

- भूतल पर 30'X20' आकार के हॉल निर्माण एवं सीढ़ियां

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram

Designation : Secretary To Government

Date: 2025.06.10 18:28:36 IST

Reason: Approved

- फर्नीचर राशि रु. 2.35 लाख एवं वायरिंग राशि रु. 0.15 लाख
- कंप्यूटर राशि - रु. 2.00 लाख (राशि रु. 0.50 लाख प्रति कंप्यूटर अधिकतम)

इस प्रकार प्रत्येक अटल ज्ञान केंद्र के निर्माण पर कुल अनुमानित लागत राशि रु.12.50 लाख होगी।

लेआउट प्लान, लागत अनुमान, कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन संलग्न है।

9 अटल प्रेरकों का चयन

प्रत्येक अटल ज्ञान केंद्र पर स्थानीय युवक/युवती को प्राथमिकता देते हुए अटल प्रेरकों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें। अटल प्रेरकों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यदायित्व निर्धारित किए जाएंगे, ताकि वे गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित कर सकें और लाइब्रेरी व ई-लाइब्रेरी जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराने में मदद करें।

9.1 योग्यता

- 12 वीं + RS-CIT का प्रमाण-पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी समकक्ष या उच्चतर योग्यता दिनांक 01.04.2025 तक।
- न्यूनतम आयु 18 वर्ष दिनांक 01.04.2025 तक।
- व्यावसायिक कौशल दक्ष अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी।

9.2 चयन प्रक्रिया

ब्लॉक स्तरीय चयन समिति ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कर जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी। अंतिम चयन जिला स्तरीय चयन समिति के स्तर से किया जाएगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To
Government
Date: 2025.06.10 18:28:36 IST
Reason: Approved

ब्लॉक स्तरीय चयन समिति में निम्नलिखित अधिकारी होंगे-

- उपखण्ड अधिकारी
- विकास अधिकारी
- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- उपखण्ड अधिकारी द्वारा नामित वरिष्ठतम् लेखा कार्मिक/अधिकारी
(पंचायत समिति में दो उपखण्ड अधिकारी होने की स्थिति में जिला कलेक्टर द्वारा नामित उपखण्ड अधिकारी)

जिला स्तरीय चयन समिति में निम्नलिखित अधिकारी होंगे-

- जिला कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधी
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
- जिला सूचना अधिकारी
- जिला कलेक्टर द्वारा नामित वरिष्ठतम् लेखाधिकारी

9.3 अटल प्रेरकों की मुख्य भूमिका

- स्थानीय लोगों को डिजिटल सेवाओं, इंटरनेट का प्रशिक्षण देंगे, जिससे वे डिजिटल साक्षर बन सकें।
- ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ, प्रक्रियाओं और ई-गवर्नेंस सेवाओं का प्रचार-प्रसार करेंगे जिससे अधिकतम लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।
- युवाओं को उनके शैक्षणिक और व्यावसायिक विकल्पों के बारे में मार्गदर्शन करेंगे, जिससे वे सही कैरियर विकल्प चुन सकें।
- युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेंगे।
- अटल ज्ञान केंद्रों में लाइब्रेरी और ई-लाइब्रेरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Government
Date: 2025.06.10 18:28:36 IST
Reason: Approved

- ई-मित्र की तरह सरकारी दस्तावेज़ (जाति, जन्म, मृत्यु प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड आदि) और कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन में लोगों की सहायता करेंगे।

9.4 अटल प्रेरकों का मानदेय

श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.12.2024 के अनुसार पुस्तकालयाध्यक्ष को न्यूनतम मासिक भुगतान राशि रू. 9334/- (359/- प्रतिदिन) देय है।

इसी आधार पर अटल प्रेरकों को

मासिक मानदेय- 9334/- (359/- प्रतिदिन)

मासिक अनुमानित मानदेय- 194.33 लाख (2082 अटल प्रेरकों हेतु)

वार्षिक अनुमानित मानदेय- 2332.00 लाख (2082 अटल प्रेरकों हेतु)

10. वित्तीय प्रावधान

i. बजट आवंटन

- प्रारंभिक निवेश:** केंद्रों की स्थापना, उपकरणों की खरीद, और बुनियादी सुविधाओं के लिए आवंटन।
- मासिक संचालन बजट:** केंद्रों के संचालन के लिए वेतन, प्रशिक्षण, इंटरनेट शुल्क और अन्य खर्च।
- उक्तानुसार आवश्यक राशि का 60 प्रतिशत भारत सरकार एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To
Government
Date: 2025.06.10 18:28:36 IST
Reason: Approved

11. मॉनिटरिंग और मूल्यांकन

11.1 नियमित निरीक्षण

- ब्लॉक और जिला स्तर के अधिकारी मासिक निरीक्षण करेंगे।
- निरीक्षण के दौरान केंद्र पर उपस्थिति, उपकरणों की स्थिति, सेवाओं की उपलब्धता, तथा प्रेरक का कार्य मूल्यांकन किया जाएगा।
- एक निरीक्षण चेकलिस्ट बनाई जाएगी जिसमें सभी मानकों की समीक्षा की जाएगी।

11.2 डिजिटल निगरानी प्रणाली

- प्रत्येक केंद्र में एक डिजिटल डैशबोर्ड जोड़ा जाएगा जो सेवाओं के उपयोग, विज़िटर लॉग और अन्य आंकड़ों को रियल-टाइम में रिकॉर्ड करेगा।
- केंद्र पर आने वाले लाभार्थियों की संख्या, सेवाओं की उपयोगिता और प्रेरक की गतिविधियों का रिकॉर्ड डिजिटली रखा जाएगा।
- केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं।

11.3 फीडबैक प्रणाली

- ग्रामवासियों और उपयोगकर्ताओं से सीधे फीडबैक।
- केंद्र पर एक फीडबैक रजिस्टर भी रखा जाएगा।

11.4 समीक्षा प्रणाली

प्रत्येक अटल ज्ञान केंद्र की छमाही रिपोर्ट बनाई जाएगी, जिसमें निम्नलिखित पहलुओं की समीक्षा की जाएगी

- केंद्र में आने वाले लोगों की संख्या, कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, कितने सरकारी आवेदन किए गए, कितनी शिकायतें आईं और उनका समाधान हुआ या नहीं पहलुओं की समीक्षा की जाएगी

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To
Government
Date: 2025.06.10 18:28:36 IST
Reason: Approved

- कार्यक्षमता का आंकलन- क्या कंप्यूटर व इंटरनेट लगातार काम कर रहे हैं? क्या प्रेरक समय पर उपस्थित हो रहा है? कितनी सेवाएं सुचारु रूप से मिल रही हैं?
- रिपोर्ट में गतिविधियों, सेवाओं के आंकड़े, उपकरणों की स्थिति और समस्याओं का उल्लेख होगा।
- ऑनलाइन मासिक रिपोर्ट ली जावेगी।
- E-panchayat Portal के माध्यम से इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी।

यह वित्त विभाग की आईडी संख्या 332500866 दिनांक 02.06.2025 द्वारा अनुमोदित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

**(डॉ. जोगा राम)
शासन सचिव एवं आयुक्त**

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग।
2. विशिष्ट सहायक, मा. राज्य मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग।
3. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
5. संभागीय आयुक्त, समस्त।
6. जिला कलक्टर, समस्त।
7. मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
8. संयुक्त निदेशक (मो.) पंचायती राज।
9. एसीपी, पंचायती राज को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To
Government
Date: 2025.06.10 18:28:36 IST
Reason: Approved